

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: **विजेन्द्र कुमार दिवेकर, जिला उपभोक्ता डोम किंवद**
2. वर्तमान धारित पद **अवधक श्रेण-1**
3. वर्तमान वेतन **8960+2400**
4. अगली वेतनवृद्धि **1/7/2015**
5. वर्तमान पद का कुल वेतन **24933=00**


उस जिले, संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ध्यौरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, ***पट्टा, वंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ध्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	02	03	04	05	06	07	08
हिन्दवाड़ा (मं० प्र०)	आवासीय भवन 23x41 = 943 वर्ग फुट	-	लगभग 30,00,000 लाख रुपये	स्वयं + पत्नी	पुपना भावासीय प्लॉट 750 वर्ग फुट विक्रय कर एवं बैंड में भावासीय गृह लेकर शिवम विक्रम हिन्दवाड़ा से बना बनाया मकान क्रय किया गया। भावासीय मकान क्रय किया गया उल्लेख क्रय मूल्य 8,50,000/- था।	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिये।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या वंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ध्यौरे दें।

हस्ताक्षर 

नाम **विजेन्द्र कुमार दिवेकर**

पद **अवधक श्रेण-1**